न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

प्रार्थना –पत्र नम्बर 35/2024

प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आरटीए

...राम पुत्र भालाराम जाति मेघवाल निवासी बुगलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

विरूद्व

मल्लूराम पुत्र हरिराम जाति मेघवाल नि.बुगलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

अप्रार्थीगण

–:आदेश:–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार ... प्रार्थी के नाम से चक 29 एएमपी के खता संख्या 75/61 में 0.759 हैक्. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। कृषि भूमि प्रार्थी को प्रार्थी के पिता भालाराम की मृत्यु के पश्चात विरासतन ... हुई है। जमावंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से चक 29 एएमपी के खाता संख्या 82/65 जमावंदी सम्वत 2072–2075 में 0.759 हैक्. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थी सं. 1 मल्लूराम व प्रार्थी का पिता भालाराम आपस में सगे भाई हैं। प्रार्थी के पिता भालाराम व भालाराम के भाइयों चुन्नीराम, मनीराम, मल्लूराम व रामलाल ने दिनांक 17. 02.2009 को एक लिखित बंटवारा किया था। उक्त बंटवारा में चक 29 एएमपी में प्रार्थी के दादा हरीराम के नाम दर्ज 3.795 हैक्. कृषि भूमि को पांचों भाइयों में बहिव बंटवारा किया था। उक्त बंटवारा की चरण संख्या 6 में पत्थर नंबर 92/178 के मुरब्बा नंबर 52 के किला नंबर 3, 8, 13 में से 10 फुट रास्ता छोडा गया था। रास्ता किला नंबर 2, 9, 12 के चिपता हुआ छोडा गया था। दिनांक 17.02.2009 से लेकर अप्रैल 2024 तक उक्त रास्ता चल रहा था लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रैल 2024 में उक्त रास्ता को बंद कर दिया गया है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए और कोई मंजूरशूदा रास्ता नहीं है जिससे प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में कृषि कार्य हेतु आने जाने हेतु काफी कठिनाईयों का सामना करना पडता है। प्रार्थी की भूमि में आने जाने के लिए स्वीकृत रास्ता सड़क से दो बीघा पत्थर नंबर 92/178 मुरब्बा नंबर 52 के किला नंबर 3, 8 में रास्ता नजदीक पडता है। उक्त पत्थर नंबर 92/178 मुरब्बा नंबर 52 के किला नंबर 3 व 8 अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जाकाश्त व राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि की जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त किला नंबर 3 व 8 के अलावा प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने हेतु रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता नजदीकी व उचित रास्ता है। प्रार्थी इसी मुताबिक रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से कई बार निवेदन किया की वह प्रार्थी को कब्जा काश्त की कृषि भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या दो में वर्णित कृषि भूमि में आने जाने हेतु प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 के मुताबिक रास्ता मंजूर करवा देवे। प्रार्थी उक्त रास्ता की भूमि के लिए डीएलसी रेट की दोगुनी राशि देने

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner

तैयार है। प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थी संख्या 1 से भरातरू बंटवारानामा दिनांक 17.02.2009 अनुसार रास्ता स्वीकृत हेतु निवेदन किया पहले तो अप्रार्थी संख्या 1 टालमटोल करता रहा व अंत में अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के उक्त निवेदन से साफ इन्कार हो गया बस यही प्रार्थना पत्र का कारण है। अप्रार्थी संख्या 1 के खिलाफ प्रत्यक्ष अनुतोष चाहा होने के कारण पक्षकार बनाया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 2 को लैण्ड होल्डर होने के कारण औपचारिक पक्षकार बनाया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 29 एएमपी के खाता संख्या 82/65 ज.स. 2072–2075 में किला नं. 3 व 8 में किला नं. 2 व 9 के चिपता 10 फुट अर्थात 0.013 है.प्रत्येक किला में रास्ता स्वीकृत किया जाकर उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में बतौर गै.मु.रास्ता के रूप में दर्ज की जावे व उक्त रास्ता मौका पर खुलवाया जाकर चालू करवाया जावें। प्रार्थी रास्ता में आई कृषि भूमि के बदले डीएलसी रेट की दौगुनी राशि देने को तैयार है।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अभिभाषक जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को कभी रास्ता स्वीकृति हेतु निवेदन नही किया एव प.न. 92/178 मु.न. 52 के किला नं. 3 व 8 में किला नं. 2 व 9 से चिपता यदि रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा क्योंकि प्रार्थी के खेत के दो भाग हो जायेंगें। अगर उक्त रास्ता किला नं. 3 व 8 में किला नं. 4 व 7 से चिपता स्वीकृत किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 के खेत के दो भाग नही होंगे तथा किला नं. 13 में किला नं. 12 से चिपती रास्ता से दुगनी भूमि प्रार्थी से दिलवाकर रास्ता स्वीकृत किये जाने का कथन करते हुए अपनी सहमति प्रदान की गई। जो शामिल पत्रावली किया गया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होंने अपने पत्र क्रमांक 528 दिनांक 03.09.2024 द्वारा अवगत करवाया कि प्रार्थी के पास कोई स्थाई रास्ता नही है व प्रार्थी द्वारा मु.न. 52 किला नं. 3.8 प्रत्येक में से 0.013 है. किला नं. 2 व 9 से चिपते हुए रास्ते की मांग की गई है उक्त स्थान पर घरेलू जलमार्ग (खाळ) बना हुआ है और प्रार्थी के वर्तमान में आवागमन वास्ते कोई वैकल्पिक व्यवस्था नही है मु.न. 52 किला नं. 3.8 पत्थर लाईन के साथ–2 रास्ते का विकल्प हो सकता है। लेकिन उक्त स्थान पर घरेलू जलमार्ग (खाळ) बना होना तथा प्रार्थी को रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता होना बतलाते हुए रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया प्रकरण अधिक समय से अन्तर्गत धारा 251-ए अधिनियम के तहत नया रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु लंबित चल रहा है, जबकि तहसीलदार संगरिया ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थी के पास कोई स्थाई रास्ता नही है व प्रार्थी द्वारा मु.न. 52 किला नं. 3.8 प्रत्येक में से 0.013 है. किला नं. 2 व 9 से चिपते हुए रास्ते की मांग की गई है

क्त स्थान पर घरेलू जलमार्ग (आड) बना हुआ है और प्रार्थी के वर्तमान में आवागमन वास्ते ई वैकल्पिक व्यवस्था नही है मु.न. 52 किला नं. 5,6 पत्थर लाईन के साथ–2 रास्ते का कल्प हो सकता है। लेकिन उक्त स्थान पर घरेलु जलमार्ग (आड) बना होना तथा प्रार्थी को स्ता की अत्यधिक आवश्यकता होना बतलाते हुए रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की ई। प्रार्थी ने भी अपने प्रार्थना पत्र में डीएलसी की दुगनी राशि पर रास्ता स्वीकृति हेतु वेदन किया है और अप्रार्थी संख्या 1 ने प.न. 92/178 मु.न. 52 के किला नं. 3 व 8 में ला नं. 2 व 9 से चिपता के स्थान पर किला नं. 3 व 8 में किला नं. 4 व 7 से चिपता ीकृत किया जाकर रास्ते के बदल में दुगनी भूमि की मांग करते हुए जरिये अधिवक्ता जवाब स्तुत किया गया है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा प के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक स्ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होती है कि र्थी की कृषि भूमि चक 29 एएमपी में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का ीव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु ात्यंधिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए ारटीए में अप्रार्थी के रकबा में से चक 19 एएमपी के प.न. 92/178 मु.न. 52 किला न. 3 व में किला नं. 4 व 7 से चिपता 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है और इसके बदले प्रार्थी के किला नम्बर 13 मे से उक्तानुसार रकबा कम कर किला नं. 12 के चिपता अप्रार्थी ख्या 1 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश जाते है। अप्रार्थी को उक्त रकबा का उक्तानुसार ब्जा दिलवाया जाकर भू.अ.निरीक्षक/हल्का पटवारी की उपस्थिति में रास्ता चालू करवाया ाना सुनिशिचित करे। तहसीलदार संगरिया को इस बाबत पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली सला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

आदेश आज दिनांक 9.5.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास ुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया